

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 395
गुरुवार, दिनांक 03 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर ऊर्जा का उपयोग

395. श्री प्रताप सम्हा:

डॉ. उमेश जी. जाधव:

श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

श्री रमेश बिधूडी:

श्री बी. वाई. राघवेंद्र: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या देश में सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्ध हुई है;
- (ख) यदि हां, तो कर्नाटक के जिलों सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) पहले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (घ) देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं वद्युत मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

- (क) जी, हाँ।
- (ख) देश में स्थापित सौर क्षमता मार्च, 2014 की 2632 मेगावाट से बढ़कर दिनांक 31.12.2021 तक 48088 अनुलग्नक-I में दी गई है।

कर्नाटक में स्थापित सौर क्षमता भी मार्च, 2014 की 31 मेगावाट से बढ़कर दिनांक 31.12.2021 तक 7497 7497 मेगावाट हो गई है। कर्नाटक में जिले-वार स्थापित सौर क्षमता अनुलग्नक-II में दी गई है।

- (ग) और (घ): सरकार ने सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

'सौर ऊर्जा का उपयोग' के संबंध में पूछे गए दिनांक 03.02.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 395 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-1

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति अनुसार देश में स्थापित राज्य-वार संचयी सौर क्षमता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)*
1	अंडमान और निकोबार	29.22
2	आंध्र प्रदेश	4292.37
3	अरुणाचल प्रदेश	5.61
4	असम	59.15
5	बिहार	169.48
6	चंडीगढ़	52.64
7	छत्तीसगढ़	308.83
8	दादरा और नगर हवेली	5.46
9	दमन और दीव	40.72
10	दिल्ली	209.66
11	गोवा	18.37
12	गुजरात	6206.34
13	हरियाणा	593.20
14	हिमाचल प्रदेश	45.04
15	जम्मू और कश्मीर	24.49
16	झारखंड	53.56
17	कर्नाटक	7496.80
18	केरल	306.30
19	लद्दाख	7.80
20	लक्षद्वीप	0.75
21	मध्य प्रदेश	2592.15
22	महाराष्ट्र	2506.81
23	मणिपुर	6.36
24	मेघालय	0.19
25	मजोरम	1.53
26	नागालैंड	1.00
27	ओडिशा	405.22
28	पुडुचेरी	11.87
29	पंजाब	1051.09
30	राजस्थान	9979.72
31	सिक्किम	2.76
32	तमिलनाडु	4757.76
33	तेलंगाना	4154.42
34	त्रिपुरा	9.41
35	उत्तर प्रदेश	1990.28
36	उत्तराखंड	540.49
37	पश्चिम बंगाल	151.00
	कुल	48087.85

*इसमें रूफटॉप सौर क्षमता शामिल है।

'सौर ऊर्जा का उपयोग' के संबंध में पूछे गए दिनांक 03.02.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 395 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में स्थापित जिले-वार संचयी सौर क्षमता

क्र.सं.	जिला	क्षमता (मेगावाट में)*
1	बागलकोट	166.00
2	बंगलोर ग्रामीण	35.00
3	बेलगावी	330.40
4	बेल्लारी	474.50
5	बंगलुरु शहरी	1.00
6	बीदर	415.00
7	चामराजनगर	227.00
8	चक्कबल्लपुर	92.00
9	चक्कमंगलुरु	0.00
10	चन्नदुर्ग	680.00
11	दक्षिण कन्नड़	0.00
12	दावनगेरे	106.80
13	धारवाड़ा	50.00
14	गदग	228.00
15	हसन	31.50
16	हावेरी	93.00
17	कलबुर्गी	321.00
18	कोडागू	0.00
19	कोलार	121.00
20	कोप्पल	294.60
21	मंझ्या	59.00
22	मैसूर	65.50
23	रायचुर	282.38
24	रामनगर	97.50
25	शिवमोगा	1.00
26	तुमकुर	2588.38
27	उडुपी	0.00
28	उत्तर कन्नड़	0.00
29	वजयपुरा	260.80
30	यादगरी	142.50
	कुल	7163.86

* इसमें सौर रूफटॉप क्षमता शामिल नहीं है।

'सौर ऊर्जा का उपयोग' के संबंध में पूछे गए दिनांक 03.02.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 395 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

देश में सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए वभिन्न उपाय

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष वदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन वद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्ट्री की घोषणा करना,
- लगाओ और चलाओ (प्लग एंड प्ले) आधार पर अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना,
- प्रधानमंत्री कसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभयान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12,000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,
- हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना के तहत अक्षय वद्युत की निकासी हेतु नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता वकसत करना,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणाली ढपकरणों की स्थापना के लिए मानकों को अधसूचित करना,
- निवेशों को आकर्षित करने और सुवधाजनक बनाने के लिए परियोजना वकास एकक की स्थापना करना, करना,
- ग्रह संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन वद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली के लिए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि वद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वतरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
